



-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.10.2026

- थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.09.2026 को थाना मंगलपुर पर वादिनी की लिखित तहरीर बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 286/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम सुमित पुत्र सुरजीत निवासी ग्राम बंथल शाहपुर थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद वांछित अभियुक्त सुमित उपरोक्त को दिनांक 12.10.2026 को नयागांव हीरा स्वीट्स फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमे से सम्बन्धित अपहर्ता को नयागांव फौजी के मकान जनपद गौतमबुद्ध नगर से बरामद कर म0का0 शशि की सुपुर्दगी में लिया गया। बरामद अपहर्ता के धारा 180 बीएनएसएस की बयान दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

सुमित पुत्र सुरजीत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बंथल शाहपुर थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद।

अभियुक्त सुरेशचन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 286/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मोहनवीर सिंह
2. का0 366 अंकित शर्मा
3. म0का0 1353 शशि